

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

“वित्त भवन” जनपथ, जयपुर-302015
(दूरभाष 0141-2740735, फ़ैक्स 0141-2742309, ई-मेल jdpl-ta-rj@nic.in)

क्रमांक:- एफ.3 (ख) (पी-498/86)/अलेसे-11/52-159 दिनांक :- 26.4.16
कार्यालय आदेश

विभागीय कार्यालय आदेश क्रमांक एफ.3 (ख) (पी-498/86)/अलेसे-11/19090-19097 दिनांक 10.07.2015 के द्वारा श्री प्रहलाद सिंह शेखावत, स.ले.अ.-II (लिंक नं. 4742) को रिश्वत लेने के प्रकरण में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा दिनांक 06.07.2015 को ट्रेप करने एवं न्यायिक अभिरक्षा में लेने के कारण दिनांक 06.07.2015 से निलंबित कर मुख्यालय कोषालय, अजमेर किया गया था। इनका मुख्यालय कोषालय अजमेर के स्थान पर कोषालय, जयपुर (शहर) किया जाता है।


(भास्कर शर्मा)
निदेशक

क्रमांक:- एफ.3 (ख) (पी-498 /1986)/अलेसे-11/152-159 दिनांक :- 26.4.16
प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर ।
2. मुख्य अभियन्ता, जन स्वा0 अभि0 विभाग राजस्थान, जयपुर।
3. अधिशासी अभियन्ता, जन स्वा0अभि0 विभाग, जिला ग्रामीण खण्ड II जयपुर ।
4. कोषाधिकारी जयपुर शहर/अजमेर।
5. श्री प्रहलाद सिंह शेखावत, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-II (निल0), मुख्यालय कोषालय, अजमेर ।
6. वरिष्ठ निजि सहायक-निदेशक महोदय ।
7. कम्प्यूटर अनुभाग को वेबसाईट पर अपलोड करने / पी.आई.एस इन्द्राज हेतु ।
8. निजि पत्रावली/पदस्थापन सीट/गापनीय शाखा/जांच शाखा/रक्षित पत्रावली।


अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक II)